

30 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.04.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कुल 30 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमे थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा रामइकबाल पुत्र बाबुराम, सत्यदेव पुत्र रामधनी निवासीगण हरदौना, मनोज पुत्र पूर्णमासी, पुर्णमासी पुत्र पुल्ली, प्रमोद पुत्र पूर्णमासी निवासीगण मेउड़ी, निरंजन सिंह पुत्र तेजपति, विध्याचल राम तथा भुवली राजभर निवासीगण थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा राजेश यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव निवासी सहरोज थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विजय बहादुर पुत्र रामचरित्तर निवासी हरिकेशपुरा, सुरेश मल्लाह पुत्र रामचरित्तर निवासी हरिकेशपुरा, श्रीमती मित्तल देवी पत्नी सुरेश मल्लाह निवासी हरिकेशपुरा, रामअवध पुत्र लाल राजभर निवासी महरनिया थाना कोतवाली, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा शेरू पुत्र वकील निवासी नगरीपार थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा विनोद सिंह पुत्र प्रभुनाथ, मनोज सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासीगण गोकुलपुरा, प्रभुनाथ सिंह पुत्र वशिष्ठ सिंह निवासी दपेहरी, राजकुमार यादव पुत्र उजागीर यादव, लालबिहारी पुत्र हेमराज निवासीगण तड़वा थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रामचन्द्र पुत्र शिवपूजन निवासी भलया, पारसनाथ पुत्र रामबचन, सरवानन्द भारती पुत्र धर्मदेव, अशोक कुमार पुत्र रामवृक्ष, सुनील पुत्र जवाहीर निवासीगण लोहाटीकर, लालजी पुत्र अमरजीत चौहान, कमलेश पुत्र रामबचन, राजेश पुत्र रामबचन, रामबचन पुत्र पुन्नी निवासीगण खानपुर थाना सरायलखंसी, थाना रामपुर पुलिस द्वारा निसार पुत्र समीम निवासी कुटियामाफी, मुनरी देवी पत्नी हरिराम निवासी मर्यादपुर थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

90 लीटर अवैध अवैध देशी कच्ची शराब के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 28.04.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा कटघरा शंकर और बैरकन्टा दुबारी के पास से क्रमशः कोमल सोनकर पुत्र सुरजन सोनकर निवासी पारिखपुर थाना दोहरीघाट व योगेश चौहान पुत्र प्रदुम्न चौहान निवासी बैरकन्टा दुबारी थाना मधुबन के कब्जे से क्रमशः 25 और 50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा रसूलपुर के पास से जितेन्द्र पुत्र भागवत निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 15 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 29.04.2023 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान गांगेवीर के पास से मु0अ0सं0 121/23 धारा 323,377 भादवि0 में वांछित अभियुक्त बृजेश पुत्र कातवारू निवासी गांगेवीर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।